

अध्याय IV

नियमों एवं विनियमों का अननुपालन

4.1 प्रस्तावना

सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम की धारा 16, लेखापरीक्षा प्राप्तियों के संबंध में सीएजी के कर्तव्यों से संबंधित है तथा सीएजी द्वारा भारत की समेकित निधि में देय लेखापरीक्षा प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करने तथा संतुष्ट होने कि नियम तथा प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण एवं उचित आबंटन पर एक प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बनाये गये हैं और उनका विधिवत् रूप से पालन किया जा रहा है, की अपेक्षा करती है। सीबीईसी के क्षेत्रीय संरचनाओं की हमारी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में सीएजी के डीपीसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए हम निर्धारिती के अभिलेखों, जो कर गणना का आधार है, की जांच स्थापित प्रणालियों की प्रभावशीलता की सीमा की जांच हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारिती स्वतः निर्धारण के इस युग में वर्तमान नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करता है, करते हैं। विभाग द्वारा संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, कर आधार विस्तार आदि को पूरा करने में विभाग की विशिष्ट असफलता पर अभ्युक्तियों को “आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता” पर एक पृथक अध्याय में रिपोर्ट किया जाता है तथा विभाग द्वारा संवीक्षित एवं लेखापरीक्षित न किये गए मामलों में निर्धारितियों द्वारा अननुपालन पर अभ्युक्तियां शीर्षक “नियमों एवं विनियमों का अननुपालन” के तहत पृथक रूप से रिपोर्ट की जाती हैं।

हम प्रतिवर्ष (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान (ii) सेनवैट क्रेडिट का लाभ लेना और (iii) अन्य मामलों के संबंध में अनियमितताओं पर ध्यान दिलाते रहे हैं तथा यह देखा गया है कि ये अनियमितताएं निरंतर जारी हैं क्योंकि समान प्रकृति की आपत्तियाँ प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा द्वारा रिपोर्ट की जाती हैं जैसा कि आगे बताया गया है:

तालिका : 4.1

आपत्ति की प्रकृति	2013-14		2014-15		2015-16	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना	8	3.71	6	21.62	4	1.55
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान	15	21.85	3	1.73	9	18.04
सेनवैट क्रेडिट	30	29.45	14	16.51	17	17.61
अन्य मामले	4	11.40	2	0.69	6	14.02
जोड़	57	66.41	25	40.55	36	51.22

मंत्रालय लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए केवल वैयक्तिक मामलों में वैयक्तिक निर्धारिती से राशि वसूल करके तथा उसके लिए मांग नोटिस जारी करके संशोधन कार्रवाई करता है। परन्तु निर्धारिती द्वारा अनुपालन के स्तर में सुधार करने के लिए स्थापित प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि हमने ₹ 45.40 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ब्याज का भुगतान न करने/अल्प भुगतान करने और सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाने तथा उपयोग करने के 44 मामले पुनः देखे। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं डाटाबेसों के एकीकरण, के माध्यम से कर उगाही एवं संग्रहण की प्रणाली हो जिससे देय शुल्क भुगतान से बचना निर्धारिती के लिए कठिन हो।

वर्तमान रिपोर्ट में शामिल 44 मामलों में से, 31 मामले जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गए हैं तथा जिनमें वसूली की गई/वसूली प्रक्रियाएं शुरू की परिशिष्ट-II में उल्लेखित हैं और 13 मामलों का इस अध्याय में निम्न तीन मुख्य शीर्षकों के तहत वर्णन किया गया है:

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना/अल्प भुगतान
- सेनवैट क्रेडिट का अनुचित लाभ/उपयोग
- अन्य मुद्दे

4.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना/अल्प भुगतान

लेखापरीक्षा ने 15 मामले देखे जहाँ शुल्क का भुगतान नहीं/कम किया गया था। मंत्रालय/विभाग ने सभी 15 मामलों में आपत्तियों को स्वीकारा तथा सुधारात्मक कार्यवाही आरम्भ की। 6 मामले सोदाहरण नीचे दिये गये हैं। शेष 9 मामले परिशिष्ट II में वर्णित हैं।

4.2.1 गोदाम को माल की निकासी पर शुल्क का भुगतान न करना

गोदाम प्रावधानों को शासित करने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 20 के अनुसार उत्पाद शुल्क योग्य माल उत्पादन की फैक्टरी से एक गोदाम को अथवा एक गोदाम से दूसरे गोदाम को बिना शुल्क भुगतान के निकासित किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि गोदाम के लिए भेजा गया माल गोदाम को प्राप्त नहीं होता है तो शुल्क के भुगतान का उत्तरदायित्व प्रेषक का होगा। इसके अलावा, सीबीईसी के पूरक अनुदेश की उत्पाद शुल्क नियमपुस्तक 2005 के अध्याय 10 का पैरा प्रावधान करता है कि जब निर्धारिती एआरई-3 के तहत शुल्क के भुगतान के बिना भिन्न गोदामों को माल की निकासी करता है तथा 90 दिनों में पुनः भण्डारण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो वह उस माल पर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

अहमदाबाद-III कमीशनरी में मैसर्स सिन्टेक्स इण्डस्ट्री लि. (प्लास्टिक प्रभाग) ने एआरई-3 फॉर्म के तहत बिना शुल्क भुगतान के विभिन्न भण्डारों को माल की निकासी की थी। प्राप्त निकासी तथा पुनः भण्डारण की संवीक्षा पर, यह पाया गया कि वित्त वर्ष 2015-16 में एआरई-3 के तहत निकासी किये गए कुछ माल के संबंध में पुनः भण्डारण प्रमाणपत्र निकासी की तिथि से 90 से अधिक दिनों की समाप्ति के बाद भी निर्धारिती द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार निर्धारिती ऐसी निकासी के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। निकासी जिसके लिए पुनः भण्डारण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किये गये थे का कुल मूल्य ₹ 3.34 करोड़ बनता था जिसमें ₹ 41.77 लाख का कुल शुल्क शामिल था, जिसकी लागू ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित थी।

जब हमने इस बताया (मई 2016), तो विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2016) कि निर्धारिती ने ₹ 3.89 लाख के ब्याज सहित ₹ 41.77 लाख का भुगतान कर दिया था।

4.2.2 कम पाए गए कोयले पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा स्वच्छ ऊर्जा उपकर का अनुदग्रहण

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 का नियम 4(1) शर्त लगाता है कि उत्पाद शुल्क योग्य कोई माल जिस पर शुल्क उदग्राह्य है, शुल्क के भुगतान के बिना हटाया नहीं जाएगा। उपरोक्त नियमावली के नियम 10(1) के अनुसार प्रत्येक निर्धारिती दैनिक आधार पर उत्पादित अथवा विनिर्मित माल, प्रारंभिक शेष, उत्पादित अथवा विनिर्मित मात्रा आदि के संबंध में विवरणों को बताने वाला स्पष्ट तरीके से उचित रिकार्ड का अनुरक्षण करेगा। इसके अलावा, उपरोक्त नियमावली का नियम 21(1) माल पर शुल्क की छूट की अनुमति प्रदान करता है जो प्राकृतिक कारणों अथवा अपरिहार्य घटनाओं से गुम अथवा नष्ट हो गया है अथवा विनिर्माता द्वारा निष्कासन से पूर्व किसी भी समय खपत अथवा मार्केटिंग के लिए अनुपयुक्त के रूप में दावा किया जाता है, पर शुल्क की माफी अनुमत करता है। स्वच्छ ऊर्जा उप कर नियमावली, 2010 के नियम 4 के अनुसार प्रत्येक निर्माता स्वच्छ ऊर्जा उपकर नियमावली, 2010 के नियम 6 (1) में दिए गए तरीके में विनिर्दिष्ट माल को हटाने पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर (सीईसी) का भुगतान करेगा।

दिनांक 24 जून 2010 के सीबीईसी परिपत्र के पैरा सं. 3 के अनुसार उपकर, कोयला खान से उठाये गए तथा भेजे गए कच्चे कोयले की हानि, यदि कोयले की वाशिंग अथवा खानों से प्रेषण से पूर्व अन्य किसी उत्पाद/रूप में उसका रूपांतरण के कारण कोई हो, के लिए इस मात्रा से बिना किसी कटौती के सकल मात्रा के लिए लागू होगा। उत्पादित कोयला उत्पादों पर ₹ 200 प्रति एमटी की दर पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर देय हैं।

राऊरकेला कमीशनरी के तहत मैसर्स महानदी कोल फील्डस लि. (एमसीएल) ओरियंट एरिया बृजराजनगर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 27 के अधीन आने वाले कोयला के उत्पादक ने वित्त वर्ष 2014-15 के अंत में अपने बहीखातों में 90367.86 एमटी के रूप में कोयले का अन्त

शेष बताया था। निर्धारिती ने मार्च 2015 के महीने के लिए ईआर-1 विवरणी में भी बताया था कि वित्त वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर कोयले का अन्त शेष 91,814 एमटी था। तथापि, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की कोयला जांच करने वाली टीम के प्रत्यक्ष सत्यापन पर यह पाया गया कि कोयले का वास्तविक प्रत्यक्ष बकाया केवल 47,296.22 एमटी था। इस प्रकार ₹ 7.20 करोड़ की कीमत वाले 44,517.78 एमटी कोयले की कमी थी। इस प्रकार, प्रत्यक्ष स्टॉक न तो ईआर-1 में प्रतिबिंबित किया गया था और न ही निर्धारिती ने उपरोक्त नियमावली के नियम 22 (1) के तहत इतनी कमी पर शुल्क की छूट के लिए आवेदन किया था। इसके परिणामस्वरूप कम पाए गए कोयले पर ₹ 43.20 लाख का शुल्क तथा कम पाये गए कोयले पर ₹ 89.04 लाख का स्वच्छ ऊर्जा उपकर नहीं लगाया गया तथा उसे ब्याज सहित निर्धारिती से वसूल किया जाना अपेक्षित था।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2016), तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2017) तथा बताया कि ₹ 43.20 लाख के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा 2014-15 की अवधि हेतु ₹ 89.04 लाख के स्वच्छ ऊर्जा उपकर के लिए एससीएन जारी किया जा रहा था।

4.2.3 सहयोगी इकाई को निकासी किये गए माल पर शुल्क की अल्प उगाही

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत का निर्धारण) नियमावली, 2000 के नियम 9 के लिए परन्तुक के साथ पठित नियम 8 परिकल्पित करता है कि जहाँ उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा बेचा नहीं जाता है परन्तु स्वयं द्वारा या निर्धारिती के संबंधित व्यक्ति द्वारा किसी अन्य वस्तु के निर्माण में इसकी खपत से की जाती है तो ऐसे माल का निर्धार्य मूल्य उत्पादन अथवा ऐसे माल के विनिर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा। इसके अलावा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के तहत प्रावधनों के अनुसार शुल्क भुगतान न करने/कम भुगतान करने के लिए लागू दर पर ब्याज उगाही करने योग्य है।

बोलपुर कमिश्नरी के तहत मैसर्स स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-आईआईएससीओ स्टील प्लांट बर्नपुर ने आगे विनिर्माण में उपयोग हेतु 2013-14 के दौरान बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर आदि स्थित अपनी विभिन्न

सहयोगी इकाईयों को अनन्य रूप से ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) कोक की निकासी की। कुछ मामलों में निर्धार्य मूल्य जिस पर बीएफ की निकासी की गई थी, उत्पादन लागत के 110 प्रतिशत से कम था जैसा कि निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके परिणामस्वरूप बीएफ कोयला का अवनिर्धारण हुआ तथा परिणामस्वरूप 2013-14 की अवधि हेतु ₹ 3.61 करोड़ के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2016), तो मंत्रालय ने आपत्ति (सितम्बर 2017) स्वीकार कर ली तथा सूचित किया कि कारण बताओ नोटिस जारी करना प्रक्रियाधीन था।

4.2.4 शुल्क का कम भुगतान तथा ब्याज एवं शास्ति का भुगतान न करना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2002 के नियम 8(3) के अनुसार, यदि निर्धारिती देय तिथि तक शुल्क की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह देय तिथि के बाद प्रथम दिन से आरम्भ होकर बकाया राशि के वास्तविक भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए बकाया राशि पर अधिनियम की धारा 11एबी के तहत जारी अधिसूचना के द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर पर ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 8 की उप धारा 3ए के अनुसार यदि निर्धारिती देय तिथि से एक महीने की अवधि में विवरणी में उसके द्वारा देय के रूप में घोषित शुल्क का भुगतान करने में असफल होता है तो फिर निर्धारिती उस अवधि के लिए जिसमें ऐसी विफलता जारी है, देय तिथि से प्रत्येक महीने अथवा उसके भाग की गणना के लिए भुगतान न की गई राशि पर एक प्रतिशत की दर पर शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

कोल्हापुर कमिश्नरी में मै. सोना अलॉय प्रा. लि. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के अध्याय 72 के अंतर्गत आने वाली उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन में लगा हुआ है। ईआर विवरणी की संवीक्षा से पता चला कि अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 की अवधि के दौरान, निर्धारिती ने प्रत्येक महीने के लिए विलंब के साथ उत्पाद शुल्क का भुगतान किया। निर्धारिती, 18

प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज और चुकौती की नियत तिथि से प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर से शास्ति का भुगतान करने का, देनदार था। तथापि, निर्धारिती ने इसका भुगतान नहीं किया। इसके कारण ₹2.00 करोड़ के ब्याज और ₹1.35 करोड़ की शास्ति का भुगतान नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, फरवरी और मार्च 2016 के माह के लिए ₹10.44 करोड़ के देय शुल्क की अपेक्षा निर्धारिती ने केवल ₹7.23 करोड़ का भुगतान किया। ₹3.21 करोड़ का कम भुगतान किया गया शुल्क भी ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसके बारे में बताया (अगस्त 2016) तब विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2016) कि विलंबित भुगतान के लिए निर्धारिती ने ब्याज के ₹2.00 करोड़ और शास्ति के ₹1.35 करोड़ का भुगतान कर दिया था और ₹29.37 लाख के ब्याज और ₹19.90 लाख की शास्ति के साथ ₹3.21 करोड़ के शुल्क का भुगतान भी कर दिया था।

4.2.5 उत्पाद शुल्क की रियायत दर के गलत लाभ के कारण शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अध्याय 94 की धारा XX के अंतर्गत अध्याय टिप्पणी 3(बी) यह प्रावधान करती है, कि शीर्ष '9404 में वर्णित वस्तुएँ, अलग से प्रस्तुत करने पर, शीर्ष 9401, 9402 या 9403 में वस्तुओं के भाग के रूप में वर्गीकृत नहीं की जानी हैं।

रेंज उंबरगाम-। डिवीजन वापी, दमन कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाली मै. जनक हेल्थ केयर प्रा.लि. अध्याय 94029010 के अंतर्गत वर्गीकरणीय चिकित्सा, सर्जिकल, डेंटल या पशु-चिकित्सा फर्नीचर के विनिर्माण में संलग्न है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 12/2012-सीई के क्रमांक संख्या 320 के अंतर्गत छह प्रतिशत की रियायती केंद्रीय उत्पाद शुल्क दर पर उक्त वस्तुओं की निकासी की। हमने देखा कि निर्धारिती ने चिकित्सीय, सर्जिकल, डेंटल या पशु-चिकित्सा फर्नीचर के भागों की भी छह प्रतिशत की रियायती दर पर निकासी की जिसमें उसने गद्दों की भी निकासी की जो कि शीर्ष 9404 के अंतर्गत वर्गीकरणीय थे। निर्धारिती ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान गद्दों की निकासी जो कि फर्नीचर के साथ थे, रियायती दर पर की थी जबकि उत्पाद शुल्क की सामान्य दर पर विकसित गद्दों का विकास किया गया था।

शुल्क की रियायती दर पर गददों की निकासी गलत थी क्योंकि उपरोक्त अध्याय टिप्पणी 3(बी) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि शीर्ष 9404 में वर्णित वस्तुएँ शीर्ष 9401, 9402 तथा 9403 के अंतर्गत वस्तुओं के भाग के रूप में वर्गीकृत नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत बिल में गददों को भिन्न उत्पाद कोड के अंतर्गत भिन्न उत्पाद के रूप में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था और सीटीएच 94.04 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे। इसका साक्ष्य उत्पाद सूची से भी मिल जाता है, जिसमें उत्पाद गददों को अलग से दर्शाया गया है।

जब हमने इस बारे में बताया (मार्च 2014), तब विभाग ने इस आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) और ₹83.30 लाख के और ब्याज तथा शास्ति के साथ ₹1.67 करोड़ की मांग की पुष्टि सूचित की।

4.2.6 वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम भुगतान

सीईटीए 1985 के अध्याय 30 के अंतर्गत टिप्पणी 1(ई) के अनुसार, 'शीर्ष 3307 से 3307' की सामग्री चाहे वे चिकित्सीय या रोग विरोधी विशेषताओं के हो फार्मासुटिकल उत्पादों में वर्गीकरणीय नहीं हैं। सीईटीए 1985 के अध्याय 33 के अंतर्गत टिप्पणी 3 यह वर्णन करती है कि शीर्ष 3303 से 3307 अन्य बातों के साथ-साथ उन उत्पादों पर चाहे मिश्रित हो नहीं (जलीय डिस्टिलेटस और आवश्यक तेलों के जलीय मिश्रण के अतिरिक्त), जो इन शीर्षों की वस्तुओं के समान उपयोग के लिए उपयुक्त और ऐसे प्रयोग के लिए खुदरा द्वारा एक प्रकार की पैकिंग में बेची जाए, लागू होते हैं। शीर्ष 3304 में सौंदर्य या मेक-अप वस्तुएँ या सनस्क्रीम या सनटैन वस्तुएँ आदि सहित त्वचा की देखरेख (औषधीय सामग्री के अतिरिक्त) की वस्तुएँ शामिल होती हैं।

कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गगनपहाड़ रेंज II, हैदराबाद के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा के दौरान, मै. अश्विनी होमियो एंड आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट्स प्रा.लि. के अप्रैल 2013 से मार्च 2016 की अवधि की ईआर 1 रिटर्न में यह देखा गया कि निर्धारिती ने 'हर्बल बाथ पाउडर/सुन्नी पिंडी' को शीर्ष 30039014 के अंतर्गत वर्गीकृत करके छह प्रतिशत की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया। उक्त उत्पाद की खुदरा बिक्री के लिए निकासी की गई थी और किसी त्वचा रोग/बीमारी के इलाज के लिए नहीं।

उक्त अध्याय टिप्पणी के अनुसार, हर्बल बाथ पाउडर/सुन्नी पिंडी अध्याय शीर्ष 3304 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है, जिस पर 12.36 प्रतिशत/12.5 प्रतिशत (1 मार्च 2015 से प्रभावी) दर पर उत्पाद शुल्क देय है। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹56.23 लाख का कम शुल्क प्राप्त हुआ जिसकी निर्धारिती से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए थी।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2016), तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार (अगस्त 2017) किया और कहा कि निर्धारिती को जनवरी 2012 से नवंबर 2016 की अवधि तक के लिए ₹90.14 लाख के शुल्क की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

4.3 सेनवैट क्रेडिट

लेखापरीक्षा ने निर्धारितियों द्वारा सेनवैट क्रेडिट के गलत प्राप्त करने/उपयोग के 28 मामले देखे। मंत्रालय/विभाग ने 26 मामलों में आपत्तियों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ/पूर्ण की, जबकि एक मामले में, उत्तर प्रतीक्षित था। 6 मामलों का निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णन है। शेष 22 मामलों का वर्णन परिशिष्ट II में किया गया है।

4.3.1 निर्माण कार्य संविदा सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ लेना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2(आई)(ए) के अनुसार 'इनपुट सेवा' में वित्त अधिनियम की धारा 66ई के खंड (बी) के अंतर्गत सूचीगत सेवा सहित जब किसी भवन या सिविल स्ट्रक्चर या उसके किसी भाग के निर्माण या निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन के लिए प्रयुक्त हों निर्माण कार्य संविदा और निर्माण सेवाओं के निष्पादन में सेवा अंश सम्मिलित नहीं हैं।

एलटीयू कमिश्नरी, चेन्नई के अंतर्गत एक निर्धारिती मै. फोर्ड इंडिया प्रा. लिमि. ने 2013-14 और 2014-15 के दौरान फैक्टरी इमारत के निर्माण के लिए निर्माणकार्य संविदा सेवा से संबंधित रिवर्स चार्ज आधार के अंतर्गत ₹1.05 करोड़ की राशि का सेवाकर क्रेडिट गलत तरीके से प्राप्त किया था। प्राप्त गलत क्रेडिट वसूली योग्य था।

जब हमने इस बारे में बताया (जून, जुलाई 2015), तब मंत्रालय ने इस आपत्ति (सितंबर 2017) को स्वीकार किया और बताया कि 2013-14 से 2014-15 की अवधि को शामिल करते हुए ₹1.14 करोड़ की राशि वसूल करने के लिए निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

4.3.2 अंतिम उत्पाद माल के विनिर्माण में प्रयोग नहीं की गई इनपुट सेवा पर सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(एल) के अनुसार, इनपुट सेवा का तात्पर्य है, ऐसी कोई भी सेवा जो (i) आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा प्रयोग होती हो या (ii) विनिर्माता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम उत्पाद के विनिर्माण या उससे संबंधित हो या अंतिम उत्पादों की हटाने के स्थान तक निकासी के लिए प्रयुक्त हो। उक्त नियमावली का नियम 14 सेनवैट क्रेडिट के अनियमित लाभ और प्रयोग पर ब्याज लगाने का प्रावधान करता है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाले कोयले के उत्पादन में संलग्न राउरकेला कमिश्नरी के अंतर्गत मै. महानदी कोलफील्डस लिमि. (एमसीबसल) आईबी वेली क्षेत्र, ब्रजराज नगर ने वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान लखनपुर क्षेत्र से, मै. एमसीएल के कोयला लदान के लिए टिप्पर के भाड़ा प्रभार पर प्रदत्त सेवा कर पर ₹30.37 लाख के सेनवैट क्रेडिट का लाभ किया था। चूंकि, कोयले पर शुल्क का भुगतान मै. एमसीएल, लखनपुर क्षेत्र द्वारा किया गया था, इसलिए क्रेडिट केवल मै. एमसीएल, लखनपुर क्षेत्र के लिए अनुमत था। ₹30.37 लाख के इनपुट सेवा क्रेडिट के अनियमित लाभ और प्रयोग की वसूली निर्धारिती से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित थी।

जब हमने इस बारे में बताया (मार्च 2016), तब मंत्रालय ने यह कहते हुए इस अभ्युक्ति से असहमति जताई (सितम्बर 2017) कि निर्धारिती के पास 10 विभिन्न क्षेत्रों में 26 खदाने हैं और प्रत्येक खदान क्षेत्र में उन्होंने अलग-अलग पंजीकरण भी प्राप्त किए हैं। इस मामले में आईबी वेली क्षेत्र और लखनपुर क्षेत्र शामिल थे। प्रशासनिक सुविधा के कारण ठेकेदार द्वारा आईबी वेली क्षेत्र को बिल जारी किया गया था, पूरा क्रेडिट उनके द्वारा प्राप्त किया

गया और मामला राजस्व तठस्थ था। यह भी बताया गया कि मार्च 2011 से केंद्रीकृत पंजीकरण अनुमत किया गया, जिसके कारण कोयला विनिर्माण इकाई के विभिन्न खनन क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का निवारण हुआ है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती ने 01 अप्रैल 2015 को केंद्रीकृत पंजीकरण प्राप्त किया था। उसके पूर्व उसे सेनवैट क्रेडिट नियमावली का पालन करना था और संबंधित खदान क्षेत्रों द्वारा ही क्रेडिट प्राप्त करना चाहिए था।

4.3.3 एक ही बिल पर दो बार सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 के अनुसार, आउटपुट सेवा का विनिर्माता या प्रदाता उसमें वर्णित शुल्क/कर का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त, नियम 14 यह प्रावधान करता है कि जहां सेनवैट क्रेडिट लिया जा चुका है और गलत ढंग से उपयोग किया गया है, वहाँ ब्याज सहित उसकी वसूली की जाएगी।

चेन्नई-1 कमिश्नरी के अंतर्गत मै. हेवी व्हीकल्स फैक्टरी अवादी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक आयुध फैक्टरी है। निर्धारिती बख्तरबंद वाहनों/टैंकों के लिए उच्च क्षमता के डीजल इंजन का उत्पादन करता है तथा ऐसे वाहनों के अनुरक्षण और उपयोग से संबंधित सेना के कार्मिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। सेनवैट अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2016 को समाप्त अवधि के दौरान निर्धारिती ने इनपुट क्रेडिट तथा इनपुट सेवा क्रेडिट के रूप में मै. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. चेन्नई द्वारा जारी 8 सीमा शुल्क बिलों के आधार पर ₹68.55 लाख का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया था। इसी प्रकार, अप्रैल 2016 माह के दौरान इनपुट सेवा क्रेडिट और इनपुट क्रेडिट के रूप में मै. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी 4 सेवा कर बिलों के आधार पर ₹15.83 लाख का क्रेडिट प्राप्त किया। इसके परिणामतः दोगुना क्रेडिट प्राप्त किया गया। निर्धारिती ने एसएसआई इकाई जो वास्तव में छूट प्राप्त थे और जिन्होंने बिलों के संबंध में किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया था, द्वारा जारी बिलों पर भी ₹18.11 लाख का क्रेडिट प्राप्त किया। इसप्रकार, निर्धारिती ने ₹1.02 करोड़ का क्रेडिट प्राप्त किया, जो लागू ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित था।

हमने विभाग को इस बारे में जनवरी 2017 में बताया। विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित (अगस्त 2017)।

4.3.4 निर्यातोन्मुख इकाई द्वारा सेनवैट क्रेडिट का भुगतान हेतु गलत प्रयोग

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 3(4) यह प्रावधान करता है कि सेनवैट क्रेडिट का प्रयोग निम्नलिखित के भुगतान के लिए किया जाय:

- (क) किसी अंतिम उत्पाद पर उत्पाद शुल्क; या
- (ख) इनपुट पर लिए गए सेनवैट क्रेडिट के समान राशि यदि ऐसे इनपुट उस रूप में या आंशिक रूप से प्रसंस्कृत करने के पश्चात निकासित कर दिए गये हो; या
- (ग) पूंजीगत वस्तुओं पर लिए गए सेनवैट क्रेडिट के समान राशि यदि ऐसी पूंजीगत वस्तुएँ उसी रूप में निकासित कर दी गई हो; या
- (घ) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 16 के उप-नियम (2) के अंतर्गत कोई राशि; या
- (ङ) किसी आउटपुट सेवा पर सेवा कर

इसका तात्पर्य है कि उपरोक्त के अलावा सभी भुगतान नकद ही किये जाने चाहिए।

(ii) लेखापरीक्षा ने देखा कि वड़ोदरा ॥ कमिश्नरी के अंतर्गत मै. सन फार्मा (100 प्रतिशत ईओयू) ने ईओयू योजना से विमुक्त होने पर भंडार और पूंजीगत वस्तुओं में कच्चे माल पर ₹51.32 करोड़ के कुल शुल्क का भुगतान किया, जिसमें से ₹34.19 करोड़ चालान के माध्यम से नकद रूप में और ₹17.13 करोड़ सेनवैट क्रेडिट के माध्यम भुगतान किया गया। निर्धारिती ने कच्चे माल/इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं, निर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क और शुल्क मुक्त आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क के भुगतान के लिए ₹17.13 करोड़ के सेनवैट का प्रयोग किया।

उपरोक्त नियम के अनुसार, निर्धारिती केवल ₹1.48 करोड़ की राशि की निर्मित वस्तुओं पर देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान करने के सेनवैट क्रेडिट का प्रयोग करने का पात्र था। इसप्रकार, निर्धारिती ने ₹15.65 करोड़ के

क्रेडिट का प्रयोग शुल्क मुक्त वस्तुओं पर शुल्क के भुगतान और सीमा शुल्क के भुगतान के लिए गलत प्रकार से किया।

जब इस बारे में बताया गया (अगस्त 2014), तब मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2017) कि निर्धारिती को ₹ 7.34 करोड़ और ₹ 8.31 करोड़ के दो एससीएन जारी किए जा चुके थे और मांग की पुष्टि भी की गई थी।

(ii) भरूच कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में. बीएसएफ इण्डिया लिमिटेड (100 प्रतिशत ईओयू), ने ₹ 3.63 करोड़ की कीमत के आयातित कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं (खरीद प्रमाणपत्र के अंतर्गत खरीदी गई) की उसी रूप में निकासी की। निर्धारिती ने ₹ 1.55 करोड़ की पूंजीगत वस्तुओं को भी बड़े खाते में डाला था। निर्धारिती ने उपरोक्त वस्तुओं पर ₹ 1.06 करोड़ का शुल्क भुगतान उक्त प्रावधानों के अनुसार नकद भुगतान की अपेक्षा सेनवैट क्रेडिट से किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ के सेनवैट क्रेडिट का गलत प्रयोग हुआ।

जब हमने इस बारे में बताया (सितंबर 2015), तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की (अगस्त 2017) और बताया कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए निर्धारिती को ₹ 1.14 करोड़ का एससीएन जारी किया जा चुका था और उसकी पुष्टि भी हो चुकी थी।

4.3.5 मंद गति भंडार पर सेनवैट वापस न करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5बी) के अनुसार यदि प्रयोग किए जाने से पहले किसी (i) इनपुट या (ii) पूंजीगत वस्तुओं जिन पर सेनवैट क्रेडिट लिया गया है, की कीमत को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बड़े खाते में डाला जाता है या जहां लेखा बहियों में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बड़े खाते में डालने का प्रावधान किया जाता है, तो विनिर्माता या सेवा प्रदाता, जैसा भी मामला हो, उक्त इनपुट या पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में लिए गए सेनवैट क्रेडिट के समान राशि का भुगतान करेगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय शीर्ष 84 के अंतर्गत आने वाली उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण में संलग्न कोल्हापुर कमिश्नरी में में. राईटर इंडिया प्रा.लि. ने ₹ 6.97 करोड़ के मंद चलायमान

भंडार के अनुमत्य हेतु प्रवधान किए। निर्धारिती को भंडार के संबंध में लिए गये सेनवैट क्रेडिट की समान राशि को वापस करना था, जो नहीं किया गया था। इसके परिणामतः ₹87.10 लाख का सेनवैट क्रेडिट वापस नहीं किया गया।

वित्त लेखाओं में किसी बट्टे खाते में डालने या बट्टे खाते में डालने के लिए प्रावधान के मामले में, जहां सेनवैट क्रेडिट की वापसी आवश्यक है, निर्धारिती द्वारा विभाग को सूचित करने का कोई तन्त्र नहीं है। मंत्रालय जीएसटी तंत्र में एक समुचित तंत्र बनाना सुनिश्चित करे।

जब हमने इस बारे में बताया (सितंबर 2016), तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2017) और बताया कि मामले में ₹ 1.15 करोड़ की राशि शामिल थी और निर्धारिती द्वारा इस राशि की वापसी सेनवैट खाते से कर दी गई थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि आने वाली जीएसटी प्रणाली में विशिष्ट प्रावधानों को सम्मिलित करने संबंधी सुझावों को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

4.4 अन्य मामले

लेखापरीक्षा ने उपकर के कम भुगतान का एक मामला देखा जिसका उदाहरण निम्नानुसार है।

4.4.1 स्वच्छ उर्जा उपकर का कम भुगतान

अधिसूचना सं. 01/2010 सीमा शुल्क (एनटी) (स्वच्छ उर्जा उपकर) दिनांक 22 जून 2016 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2010 से दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर भारत में उत्पादित वस्तुएं होने पर उत्पाद शुल्क के रूप में स्वच्छ उर्जा उपकर नामक उपकर लगाया गया था।

इसके अतिरिक्त, अधिसूचना सं. 01/2015 स्वच्छ उर्जा उपकर दिनांक 01 मार्च 2015 के अनुसार, कोयले पर स्वच्छ उर्जा उपकर की दर ₹200 प्रति टन निर्धारित की गई थी जिसे 1 मार्च 2016 से बढ़ाकर ₹400/एमटी कर दिया गया था।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कमिश्नरी, धनबाद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मै. मुगमा ईसीएल एरिया (निर्धारिती) ने फॉर्म-1 के अनुसार मार्च 2015 से मार्च 2016 के बीच 19,30,921 एमटी कोयले की निकासी के लिए स्वच्छ उर्जा उपकर के रूप में ₹42.08 करोड़ जमा कराये। लेखापरीक्षा ने पाया कि ईआर-1 विवरणियों के अनुसार मार्च 2015 से मार्च 2016 की अवधि के बीच कोयले की निकासी 19,35,144 एमटी थी और उस पर ₹42.17 करोड़ का स्वच्छ उर्जा उपकर देय था। इस प्रकार, निर्धारिती ने ₹8.94 लाख कम स्वच्छ उर्जा उपकर का भुगतान किया जो ब्याज और शास्ति सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2017), तब विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2017) और सूचित किया (मई 2017) कि निर्धारिती को ब्याज और शास्ति सहित ₹16.81 लाख की राशि का एससीएन जारी किया जा चुका था।

